अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने की कार्यवाही की सुनवाई

हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन के संदर्भ में **साक्षात्कार** (सुनवाई) के लिए आमंत्रित करते हैं। यह 13 जून 2003 को पोलैंड गणराज्य में विदेशियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। आपका साक्षात्कार विदेशियों से संबंधित मामलों के विभाग के शरणार्थी कार्यवाही को देखने वाले कार्यालय के एक कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।

अनुपस्थिति का परिणाम

यदि आप सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होते हैं और निर्धारित तिथि से **7 दिनों** के भीतर यह साबित नहीं करते हैं कि आपकी अनुपस्थिति का कारण आपके नियंत्रण से परे था, तो हम इस कार्यवाही को बंद कर देंगे (यदि यह जनहित के खिलाफ नहीं होगा)।

गोपनीयता

साक्षात्कार एवं कार्यवाही के दौरान आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ **गोपनीय** है और पोलिश कानून द्वारा **संरक्षित** हैं। विदेशियों से संबंधित मामलों के विभाग द्वारा इन जानकारियों को आपके मूल देश के सरकारों और सार्वजनिक संस्थानों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसलिए साक्षात्कार के समय शरणार्थी कार्यवाही को देखने वाले कार्यालय के कर्मचारी के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने से न डरें।

आपका उत्तरदायित्व

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन की सफल कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि आप साक्षात्कार के समय सभी जानकारी प्रदान करें। यह आपके हित में होगा कि आप पूछे गए प्रश्नों का **विस्तृत उत्तर** दें। आपके द्वारा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन में दी गई जानकारियों की पुष्टि करने वाले **साक्ष्य** (जैसे दस्तावेज़, प्रमाणपत्र, सॉफ्टकॉपी, अन्यथा पेनड्राइव आदि) को दिखाना जरूरी है।

सुनवाई और अन्य साक्ष्यों का महत्व

साक्षात्कार के दौरान आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारियाँ और साक्ष्य आपके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन की सफल प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन जानकारियों को आवेदन के संदर्भ में निर्णय जारी करते समय पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। यदि आप झूठी जानकारी देते हैं या सबूत छिपाते हैं, तो यह आपके हित में नहीं होगा।

सुनवाई के बाद की प्रक्रिया

यदि, साक्षात्कार के बाद, **नई और महत्वपूर्ण** परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं या नए साक्ष्य सामने आते हैं, तो **जल्द से जल्द** शरणार्थी कार्यवाही विभाग के कार्यालय से संपर्क करें। आप अतिरिक्त सुनवाई के लिए भी आवेदन कर सकते हैं या मामले में अन्य गवाह की सुनवाई के लिए लिखित रूप में निवेदन कर सकते हैं – आपको गवाह का नाम और उपनाम, एवं पता देने के साथ यह भी विवरण देना होगा कि गवाह क्या पुष्टि करेगा।

नई सूचनाएं, साक्ष्य और आवेदन:

→ निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भेज सकते हैं: स्ट्रीट ताबोरोवा 33, 02-699 वारसॉ, या

→ फैक्स के द्वारा: 0-22-601-51-23, या

→ व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में पहुंचा सकते हैं (स्ट्रीट ताबोरोवा 33, वारसॉ)।

घर के पते में बदलाव

याद रखें कि आपके घर के पते में किसी भी बदलाव के बारे में हमें **हमेशा** सूचित करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हम यह मानकर चलेंगे की आपके द्वारा दिया गया पता आपका वर्तमान पता है और हमारी तरफ से सारे पत्र इस पते पर भेजे जाएंगे। कानूनी आधार पर हम इन पत्रों को आपके द्वारा **प्राप्त किया गया मानेंगे**।

निर्णय

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन की जाँच प्रक्रिया के बाद हम **लिखित में निर्णय** जारी करेंगे। हम इसे आपके द्वारा दिये गए वर्तमान घर के पते पर भेजेंगे या आपके प्रतिनिधि को सुपुर्द करेंगे (यदि आपने किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है)। आप और निर्णय से प्रभावित अन्य लोगों को इस निर्णय का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्णय में, आपको समझ में आने वाली भाषा में निम्न जानकारी मिलेगी:

→ दिए गए निर्णय का कानूनी आधार और कार्यवाही की प्रक्रिया का **परिणाम**;

→ निर्णय के **खिलाफ अपील करने की संभावना** (यदि आप निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं)।